7/10/25 आज यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना-पत्र पर तलब की गई। प्रार्थी ने
जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत
कर निवेदन किया जाता लिखते समय
सहवंश से टंकणीय त्रुटि के कारण
आराजी ख०न० 229/2800 के स्थान पर
आराजी खसरा नम्बर 229/2024 बीघा
ग्राम सालोड़ा दर्ज कर दिया जो गलत है।
जिनके ख०न० 229/2024 के स्थान पर
ख०न० 229/2800 लाल स्याही से अंकित कर
दर्ज किया जावे।

श्रीमान वकील वादी को सुना
गया तथा पत्रावली का व निर्णय दिनांक
25/9/25 का अवलोकन किया गया।
प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया
जाता है। इस न्यायालय के निर्णय
दिनांक 25/9/25 व हुक्म बाद के ख०न० किता
229/2024 के स्थान पर खसरा 229/2800
लाल स्याही से दर्ज किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। पत्रावली नियमानुसार दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

—: संशोधित निर्णय :—

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश कि गई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त उनवानी वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष विभाजन व डिक्लेरेशन का पेश किया हुआ है। जिसमें हम पक्षकारो में मध्य न्यायालय श्रीमान द्वारा विभाजन की रिलीफ नही चाहिये। उक्त प्रकरण में सिर्फ घोषणा की हद तक कार्यवाही अमल में लाई जावे। तथा वादी को विभाजन का वाद पृथक से प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे।

हमारे द्वारा वकील वादी को सुना गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। विचाराधीन वाद को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार बहरोड़ को मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

करवाये जाने के आदेश दिये गये है। वर्तमान में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मात्र प्रकरण में सिर्फ घोषणा की हद तक कार्यवाही अमल में लाई जाये जाने बबात निवेदन किया है। जिसमें अन्य प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। जिस सूरत में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को सिर्फ घोषणा की हद तक कार्यवाही अमल में लाई जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

–: संशोधित अदेश :–

वादीगण का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस आश्य की जारी कि जाती है कि आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर–114/356 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके ग्राम–झारोड़ा, तहसील–बहरोड़, के हाल रिकोर्ड को कलमजन किया जाकर वादनी को प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी में दर्ज 687/2800 हिस्से में से मुताबिक सजरा वादनी का 1/3 हिस्सा (229/2800) का तथा असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/3, 1/3 अर्थात 229/2024, 229/2800 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष यथावत रहेगा। इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेष दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

229/2800

आज दिनांक 25/9/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)